# सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) के अन्तर्गत मैनुअल
## लोक आयुक्त प्रशासन, उत्तर प्रदेश
## टी0सी0–46/वी–1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

| क्र. सं. | अधिनियम के बिन्दु | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | अपने संगठन, कार्यों तथा कर्तव्यों के विवरण | लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश की स्थापना उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत 14 सितम्बर, 1977 को हुई हैं। इस कार्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण माननीय लोक आयुक्त के अधीन है। लोक आयुक्त के पद पर माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। लोक आयुक्त संगठन एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्यरत है तथा लोक आयुक्त संगठन में प्राप्त होने वाले शिकायत एवं अभिकथन रूपी परिवादों पर माननीय लोक आयुक्त द्वारा स्वतः ही जॉच करने का निर्णय लिया जाता है। जॉच करने हेतु शासन की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। शासन का सतर्कता अनुभाग–4, लोक आयुक्त प्रशासन के पदों के सृजन, पदों की संख्या, बजट, प्रशासनिक कार्यों हेतु प्रशासनिक विभाग है, अर्थात सतर्कता विभाग लोक आयुक्त के अन्वेषण कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लोक आयुक्त का क्षेत्राधिकार प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से लेकर निम्नतम लोक सेवक तक है।<br>लोक आयुक्त प्रशासन में निम्न 2 प्रकार के परिवादों पर अन्वेषण का कार्य किया जाता है :–<br>(1) शिकायत – शिकायत रूपी परिवाद जिनमें लोक सेवक अपने विभाग से सेवानिवृत्त हो जाता है या उसकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है और देयकों का भुगतान नहीं किया जाता है। इस प्रकार के प्रकरण लोक सेवक द्वारा स्वयं या उनके विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाते है।<br>(2) अभिकथन – अभिकथन रूपी परिवाद, उ0प्र0 लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 में परिभाषित, लोक सेवकों के विरूद्ध प्रदेश की जनता द्वारा भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाते हैं। इस प्रकार के परिवादों में प्रतिभूति जमा करने की आवश्यकता होती है।<br>प्राप्त परिवादों पर यदि शिकायत सही पायी जाती है और लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त द्वारा आरोपित लोक सेवक दोषी पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12(1) व धारा 12(3) के अन्तर्गत अधिनियम में परिभाषित सक्षम प्राधिकारियों को प्रतिवेदन इस आशय से भेजे जाते हैं कि वे निर्धारित अवधि में कार्यवाही करके इस प्रशासन को सूचित करें। यदि |

| | | |
|---|---|---|
| | | किन्हीं कारणोंवश सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यवाही की सूचना इस प्रशासन को उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12(5) के अन्तर्गत महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश को विशेष प्रतिवेदन इस आशय से भेजे जाते हैं कि वे इसको विधान मण्डल के पटल पर रखवायें। |
| 2 | अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अधिकार तथा कर्तव्य | माननीय लोक आयुक्त तथा माननीय उप लोक आयुक्त द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 10(1)(क) के अन्तर्गत ग्रहण किये गये परिवादों पर परीक्षण, जॉच आदि की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना। |
| 3 | निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, इसके अन्तर्गत पर्यवेक्षण और जवाबदेही के स्रोत भी सम्मिलित हैं। | प्राप्त परिवादों पर जाचोंपरांत अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार माननीय लोक आयुक्त एवं माननीय उप लोक आयुक्त को है और लिये गये निर्णय से सक्षम प्राधिकारी को भेजकर निर्धारित अवधि में कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। |
| 4 | कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाया जाने वाला मापदण्ड | माननीय लोक आयुक्त तथा माननीय उप लोक आयुक्त द्वारा समय समय पर दिये गये निदेशों के क्रम में जॉच एवं अन्य कार्यवाहियॉ सम्पादित की जाती हैं। |
| 5 | अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कर्मचारी द्वारा प्रयुक्त अपने नियंत्रणाधीन नियमों, विनियमों, निर्देशों, निर्देशिकाओं तथा अभिलेखों | उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 में दिये गये प्राविधानों के आधार पर लोक आयुक्त प्रशासन में प्राप्त परिवादों पर जॉच कार्य सम्पादन किया जा रहा है। |
| 6 | अपने द्वारा धारित या अपने अधीन अभिलेखों की कोटियों का विज्ञापन | विवरण शून्य है, किन्तु प्रशासन के संबंध में जनमानस को जागृत करने के लिए समय समय पर विज्ञापन प्रकाशित कराये जाते हैं। |
| 7 | कोई प्रबन्ध जो कि परामर्श के लिए अस्तित्व में है, या जिसके द्वारा प्रत्यावेदन किया जाता है वे लोग जो कि इसके नीति निर्धारण या प्रवर्तन में भाग लेंगे, का विवरण | विवरण शून्य |

<table>
<tr><td>8</td><td>बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय जो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों से इसके भागरूप में गठित है या इसके सलाह के लिए, का विवरण, और उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय जो लोगों के लिए खोले गये हैं, या बैठकों की संक्षिप्त रिपोर्ट जो लोगों की पहुॅच के अधीन होंगे का विवरण</td><td>विवरण शून्य</td></tr>
<tr><td>9</td><td>अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">पदनाम</th><th rowspan="2">नाम</th><th rowspan="2">कार्यालय का पता</th><th>टेलीफोन नम्बर/सी0यू0जी0</th></tr>
<tr><th>कार्यालय</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>लोक आयुक्त, उ0प्र0</td><td>माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा</td><td>टी0सी0 46/वी–1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010</td><td>2728660<br>E-mail :- lokayukta@hotmail.com</td></tr>
<tr><td>उप लोक आयुक्त, उ0प्र0</td><td>श्री शम्भू सिंह यादव</td><td>तदैव</td><td>2306088</td></tr>
<tr><td>उप लोक आयुक्त, उ0प्र0</td><td>श्री दिनेश कुमार सिंह</td><td>तदैव</td><td>2728086</td></tr>
<tr><td>उप लोक आयुक्त, उ0प्र0</td><td>श्री सुरेन्द्र कुमार यादव</td><td>तदैव</td><td>2306412</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | डा0 रीमा बसंल, सचिव, लोक आयुक्त | –– | तदैव | 2306717 फैक्स– 2306647 |
| | | श्री त्रिपुरी मिश्रा, मुख्य अन्वेषण अधिकारी, | –– | तदैव | 2728865 |
| | | संयुक्त सचिव | श्री राजेश कुमार | तदैव | 2306412 |
| | | उप सचिव | सुश्री रीना रावत | तदैव | –– |
| | | अनु सचिव | श्रीमती रीता पाण्डे | तदैव | –– |
| | | अनुभाग अधिकारी | श्री मनीष श्रीवास्तव | तदैव | –– |
| | | जन सम्पर्क अधिकारी | श्री अवनीश शर्मा | तदैव | –– |
| | | निजी सचिव | श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव | तदैव | –– |
| | | निजी सचिव | श्री संतोष चतुर्वेदी | तदैव | –– |
| | | निजी सचिव | श्रीमती मधु | तदैव | –– |
| | | निजी सचिव | श्री आशीष कुमार रावत | तदैव | –– |
| | | निजी सचिव | श्री गौतम वर्मा | तदैव | –– |
| 10 | अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक वेतन/ पारितोषिक, इसके अन्तर्गत प्रतिकर का ढंग जो कि विनियमों द्वारा उपबंधित है, भी सम्मिलित है | 1– लोक आयुक्त | 250000/– | | |
| | | 2– उप लोक आयुक्त | 182200–224100 या अपने संवर्ग अनुसार | | |
| | | 3– सचिव,एच0जे0एस | संवर्ग के अनुसार | | |
| | | 4– मुख्य अन्वेषण अधिकारी | संवर्ग के अनुसार | | |
| | | 5– संयुक्त सचिव | वेतन बैण्ड–4 | 123100–215900 | |
| | | 6– उप सचिव | वेतन बैण्ड–3 | 78800–209200 | |
| | | 7– अनु सचिव | वेतन बैण्ड–3 | 67700–208700 | |

| | | |
|---|---|---|
| 8–अन्वेषण अधिकारी | वेतन बैण्ड–3 | 56100–177500 |
| 9–अनुभाग अधिकारी | वेतन बैण्ड–3 | 56100–177500 |
| 10– जनसम्पर्क अधिकारी | वेतन बैण्ड–3 | 56100–177500 |
| 11–वित्त एवं लेखाधिकारी | वेतन बैण्ड–3 | 56100–177500 |
| 12– निजी सचिव | वेतन बैण्ड–3 | 56100–177500 |
| **अराजपत्रित** | | |
| 1–समीक्षा अधिकारी | वेतन बैण्ड–2 | 47600–151100 |
| 2–अपर निजी सचिव | वेतन बैण्ड–2 | 47600–151100 |
| 3–समीक्षा अधिकारी (लेखा) | वेतन बैण्ड–2 | 47600–151100 |
| 4–सहायक समीक्षा अधिकारी | वेतन बैण्ड–2 | 47600–151100 |
| 5–आशुलिपिक | वेतन बैण्ड–1 | 29200–92300 |
| 6–सहायक लिपिक | वेतन बैण्ड–1 | 25500–81100 |
| 7–कम्प्यूटर आपरेटर | वेतन बैण्ड–1 | 25500–81100 |
| 8–कम्प्यूटर सहायक | वेतन बैण्ड–1 | 25500–81100 |
| 9–कान्सटेबिल | वेतन बैण्ड–1 | 19900–63200 |
| 10–ड्राईवर | वेतन बैण्ड–1 | 19900–63200 |
| 11–दफतरी | वेतन बैण्ड–1 | 18000–56900 |
| 12–जमादार | वेतन बैण्ड–1 | 18000–56900 |
| 13–चपरासी | वेतन बैण्ड–1 | 18000–56900 |
| 14–फर्राश | वेतन बैण्ड–1 | 18000–56900 |
| 15–चौकीदार | वेतन बैण्ड–1 | 18000–56900 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 16–माली | वेतन बैण्ड–1 | 18000–56900 |
| | | 17–कुक | वेतन बैण्ड–1 | 18000–56900 |
| | | 18–स्वीपर | वेतन बैण्ड–1 | 18000–56900 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | अपने प्रत्येक अभिकरणों का बजट जो उनसे सम्बन्धित है, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किये गये भुगतानों का विवरण | Pay 01 | 50800000 |
| | | wages 02 | 1450000 |
| | | D.A. 03 | 22860000 |
| | | T.A. 04 | 500000 |
| | | T.T.A.05 | 500000 |
| | | O.A. 06 | 2100000 |
| | | Honorarium 07 | 100000 |
| | | Office Exp. 08 | 6900000 |
| | | Electric Dues 09 | 3200000 |
| | | Water Tax/ Water Charges 10 | 600000 |
| | | Stationary & Printing 11 | 1600000 |
| | | Office Furniture & Equipment 12 | 2000000 |
| | | Telephone Exp. 13 | 600000 |
| | | Maintanence of Motor Car & Petrol Purchase 15 | 2000000 |
| | | व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान– 16 | 2000000 |
| | | Rent, Tax & Titelment Charges 17 | 600000 |
| | | Advertising Expenditure 19 | 1000000 |
| | | Maintenance 29 | 4700000 |
| | | Intrim Relief 38 | 500000 |
| | | Other Expenditure 42 | 300000 |
| | | T.A. for Training 44 | 200000 |
| | | L.T.C. 45 | 1000000 |
| | | Computer Hard / Soft ware Perchage 46 | 10000000 |
| | | Maintanence of Computer & Parchage of Stationary 47 | 1000000 |
| | | Medical Expenditure 49 | 2000000 |
| | | uniform Exp 51 | 100000 |
| | | पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) (52) | 5400000 |
| | | House Rent Allowance 55 | 4420000 |
| | | आउट सोर्सिग हेतु भुगतान 58 | 200000 |
| | | TOTAL | 128630000 |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | उपादान कार्यक्रम के | विवरण शून्य है |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | निष्पादन का ढंग, जिसके अन्तर्गत धन का विवरण तथा हिताधिकारियों का विवरण जो ऐसे कार्यक्रम से सम्बद्ध होंगे, का विवरण | | | |
| 13 | अपने द्वारा अनुदत्त छूटों अधिकार पत्रों अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण | विवरण शून्य है | | |
| 14 | अपने द्वारा प्रदत्त की गई सूचना या प्रदान न की गई सूचना, इलेक्ट्रानिक प्रारूप में निबद्ध की गई सूचना का विवरण | वेब साइट का नाम www.lokayukta.up.nic.in | | |
| 15 | सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधायें, इसके अन्तर्गत पुस्तकालय के कार्य की अवधि या अध्ययन कक्ष, अगर लोगों के प्रयोग के लिए है, का विवरण | विवरण शून्य है | | |
| 16 | जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम और अन्य विवरण | **जन सूचना अधिकारी** | **कार्यालय का पता** | **दूरभाष**<br>**कार्यालय** |
| | | श्री मनीष श्रीवास्तव/जन सूचना अधिकारी | टी0सी0–46/वी–1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ | 2306412 |
| 17 | अपीलीय जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम और अन्य विवरण | श्री राजेश कुमार, संयुक्त सचिव/ अपीलीय अधिकारी | टी0सी0–46/वी–1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ | 2306412 |